*ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-नि0/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- **नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु 03 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष, 2026-27 में कुल राशि 49.04992 लाख (उनचास लाख चार हजार नौ सौ बानवे) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, बांका, सारण (छपरा) एवं रोहतास द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, बांका, सारण (छपरा) एवं रोहतास को वित्तीय वर्ष, 2026-27 में कुल राशि 49.04992 लाख (उनचास लाख चार हजार नौ सौ बानवे) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	अधियाचित राशि (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	*2*	*3*	*4*
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, बॉका	7.83538	7.83538
2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, छपरा	23.38454	23.38454
3	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, रोहतास	17.83000	17.83000
	योग	**49.04992**	**49.04992**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹49.04992 लाख (उनचास लाख चार हजार नौ सौ बानवे) मात्र ।

इसके लिए CFMS के माध्यम से राशि आवंटित किया जायेगा।

3. स्वीकृत कुल राशि 49.04992 लाख (उनचास लाख चार हजार नौ सौ बानवे) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं॰-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

4. स्वीकृत कुल राशि 49.04992 लाख (उनचास लाख चार हजार नौ सौ बानवे) मात्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष-13.01- कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं॰-48-2015001090001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

5. राशि की निकासी से संबधित टी॰भी॰ नं॰, तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी इस विभाग को निश्चित रूप से भेजा जाय ताकि महालेखाकार बिहार से सामंजन कराया जा सके।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति **E-संचिका संख्या-नि0/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT** के **Note-** 03 /टि० पर दिनांक-25.05.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन **Note-** 07 /टि० पर दिनांक- 29.05.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- **नि0/1/2026-SEC_2-UDHD DEPT** 44 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 04/06/26

प्रतिलिपिः-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)सह -जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वित्त (बजट शाखा), विभाग/लेखाशाखा, वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के संयुक्त सचिव।